-1-

C. F. R. 15/-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /08 जिला मुरैना

रामदयाल पुत्र विष्णुराम जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिमरौदा सेमई, तहसील कैलारस, जिला-मुरैना (म.प्र.)

...... अपीलार्थी

A- 1122-PBR/08

विरुद्ध

(1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला-मुरैना

(2) जगन्नाथ

(3) जसवन्त

(4) भौरू

(5) रमेश पुत्रगण नन्दकिशोर, जाति धाकड़, निवासीगण ग्राम माधौगढ़ तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.)

(6) रामसिंह पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम माधौगढ़ तहसील कैलारस, जिला गुरैना (म.प्र.) ...... प्रत्यर्थीगण

न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 14.08.2008 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

(1) यहकि, ग्राम सिमरौदा सेमई में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 127, 139, 214, 215, 253/1, 256, 442, 525, 529 कुल सर्वे नं. 9 जिनके भूमि स्वामी एवं अधिपत्यधारी अपीलार्थी है। सर्वे क्रमांक 122 रकवा 16 विस्वा जिसे बन्दोबस्त में नवीन सर्वे नं. 214 बनाया गया था जिसका रकवा 37 आरे कर दिया गया। जबकि उसका मूल रकवा 17 आरे होना चाहिये था। बन्दोबस्त से पहले पुराने सर्वे क्रमांक 122 के मध्य में जो खड़ी लाईन थी नक्शे में उसे समाप्त कर दिया गया। दूसरे सर्वे क्रमांक 121क नवीन सर्वे क्रमांक 227, 228, 229 कायम किये गये। पुराने सर्वे क्रमांक के बीच मेढ़ पर कुंआ था जिसे खड़ी रेखा से चिन्हित किया गया था किन्तु बन्दोबस्त के दौरान कुंआ की लाईन को दूसरी तरफ डाल दिया गया जिसके कारण नक्शा बिल्कुल अस्पष्ट एवं मौके के विपरीत हो गया है। नक्शे में हुई त्रुटि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – अपील 1122–पीबीआर/08 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 24/2006–07/अपील में पारित आदेश दिनांक 14–8–2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 लगायत 6 द्वारा कलेक्टर, मुरैना के समक्ष बंदोवस्त के दौरान नक्शे में हुई त्रुटि के सुधार हेतु आवेदन पोश किया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 20–10–2006 द्वारा नक्शे में संशोधन के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की गई है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लिखित किए गए हैं । 4/ अनावेदक कमांक म0प्र0 शासन के विद्वान अधिवक्ता तथा अनावेदक कमांक 2 लगायत 6 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुए अपील निरस्त किए जाने	

A-1122.PBR/08

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण बंदोवस्त के दौरान नक्शे में हुई त्रुटि के संबंध में है । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए तथा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन के आधार पर उन्होंने यह पाया है कि बंदोवस्त के दौरान नक्शा बनाते समय त्रुटि हुई है जिसे संहिता की धारा 107 के अंतर्गत दुरस्त करने का अधिकारी कलेक्टर/अपर कलेक्टर को है और अपर कलेक्टर ने इन्हीं प्रावधानों के तहत नक्शा दुरस्ती का आदेश दिया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपने स्थान पर उचित और न्यायिक है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

सदस्य